

न्यायालय श्री मानू राजख मण्डल खा लियर म०प०



R-3873 - II 18

चन्द्रशेखर प्रसाद पटेल पिता श्री कमादे पटेल उम्र 55 साल पेशा खेती

निवासी ब्याहिरा तह० रायपुर क्यु० जिलाराीवा म०प०... आबेदक

बनाम

रामरंगीले पिता रामप्रताप पटेल निवासी ब्याहिरा तह० रायपुर क्यु०
जिला रीवा म०प० .. अनाबेदक

खमेश निगरानी विरुद्ध राजख खसरे पर इन्द्राज
अनाबेदक का नाम पर बिना सक्षम अटिफकारी
के आदेश के बगैर की गई अधैतानिक कार्यवाही
को निरस्त किया जाकर आबेदक के नाम पर
भूमि स्वामी कालम पर गुण दोष पर सुन्वाई
किये जाने हेतु ।

खमेश निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भू
रा० संहिता 1959 ई० ।

मान्यवर ,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

- 1- यह कि आराजी खसरा क्रमांक 911 जिसका नया नं०
कुराना नं० 764/2 रकबा 0.11 डि०, एवं खसरा क्रमांक 912 नया
नम्बर जिसका पुराना नं० 764/1 रकबा 0.18 डि० स्थित

श्री. र. र. र. र. र.
9-11-16
9-11-16

472
9-11-16
Rising
श्री. र. र. र. र. र.
9-11-16

Handwritten signature/initials.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(12)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R-3873/II/16/28वा.

~~परेश्वर रामराज~~

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

02/01/19

आवेदक की ओर से श्री डॉ. र. एन. शर्मा अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी तहसीलदार श्री. ए. ए. शर्मा के
प्रकरण क्रमांक 21442/राजस्व/2018 में पारित आदेश दिनांक
25-09-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण कलेक्टर जिला राज के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18/04/19 को कलेक्टर जिला
राज के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

